FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0110 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/05/2026 10:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/05/2026

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:43 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/05/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/05/2026 10:28:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** 133, SCHEME NO. 08,, GANDHI NAGAR ALWAR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHIVCHARAN YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PYARELAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JAGNNATH MANDIR KE SAMANE RAJGARH ROAD, ROOPBAS, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JAGNNATH MANDIR KE SAMANE RAJGARH ROAD, ROOPBAS, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KRISHAN AWATAR GUPT URAF GUPAT		पिता:KALYAN SAHAY GUPATA	1. 133,SCHEME NO. 08,,GANDHI NAGAR ALWAR,ALWAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 28.04.2026 को वक्त करीब 12.15 पी.एम पर परिवादी श्री शिवचरण यादव ने एसीबी चौकी अलवर में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसका मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री शिवचरण यादव को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री शिवचरण ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मैं शिवचरण यादव पुत्र श्री प्यारेलाल यादव नि.रूपबास जगन्नाथ मन्दिर के सामने राजगढ अलवर का निवासी हूं। मेरे बडे भाई श्रीराम यादव जी ने अपने बडे बेटे गोपेश यादव के नाम से एलओआई ली है। जिसे कहते डीलर सिप कम्पनी एसपीसीएल के पम्प के लिये लक्ष्मणगढ रोड, स्टेट हाईवे 44 पर बरखेडा के लिये अपलाई कर रखा है, जिसकी पीडब्ल्यू विभाग की एनओसी के लिये फाईल पीडब्लयू डी अलवर कार्यालय में टीए कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता जी के पास है, मै हमारी एनओसी के लिये कल दिनांक 27.04.2026 को दोपहर में गया पीडब्ल्यू ऑफिस गुप्ता जी के पास गया और गुप्ता जी से मिला तो गुप्ता जी मुझे हमारी एनओसी जारी करने के लिये खर्चा के लिये 40000/-रूपये की मांग की तब मैने गुप्ता जी को कहा की 40000/-रूपये तो बहुत ज्यादा है लेकिन कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ताजी ने कहा की कम से कम 40000/-रूपये ही देने पडेगे। मै गुप्ता जी को हमारे जायज काम के लिये 40000/-रूपये नही देना चाहता हूं और रिश्वत के रूप में 40000/-रूपये लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। " और पूछताछ करने पर यह भी बताया कि श्रीमान मेरी श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, टीए से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है और ना ही पैसों का कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री शिवचरण यादव ने अपने आधार कार्ड की छायाप्रति व एचपीसीएल कम्पनी के दारा पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए जारी की गई लोकेशन आदेश (स्व्प्) की प्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की। जिसको शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन कराने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी पीडब्लूडी ऑफिस जाकर देखकर बता दुंगा टीए साहब ऑफिस में उपस्थित है या नहीं। यदि वो उपस्थित होगें तो मैं आपको फोन से बता दुंगा। आप अपने कर्मचारी को भेज देना मैं रिश्वत मांग सत्यापन करा दुंगा। इस पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 1.00 पी.एम पर परिवादी श्री शिवचरण यादव को आवश्यक हिदायत देकर सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर रवाना किया गया। वक्त करीब 1.30 पी.एम पर परिवादी श्री शिवचरण यादव ने जरिये वाट्सएप कॉल कर मन उप अधीक्षक को बताया की टीए कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं है। मैने मेरी फाईल के संबंध में जानकारी की तो हमारी फाईल पर टीए साहब ने आब्जेकशन लगाकर वापिस भिजवा दी गई है। मुझे घर पर काम है, मैं किसी और दिन टीए गुप्ता जी के कार्यालय उपस्थित होने पर रिश्वत मांग सत्यापन करा दुंगा। जिस पर फोन पर ही परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 01.05.2026 को वक्त करीब 3.20 पी.एम पर परिवादी श्री शिवचरण यादव ने जरिये वाट्सएप कॉल कर मन उप अधीक्षक को बताया की टीए साहब कृष्ण गुप्ता आज ऑफिस में बैठे है। आप किसी कर्मचारी को भेज दो मैं रिश्वत मांग सत्यापन करा दुंगा। जिस पर परिवादी को बताया कि श्री सुण्डाराम हैड कानि. को विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के साथ आपके पास भिजवा रहा हूं। परिवादी को अशोका टाकीज के पास मिलने की आवश्यक हिदायत दी गई। वक्त करीब 3.30 पी.एम पर सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसमे नया मैमोरी कार्ड 16 जीबी सैनडिस्क को डालकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर व परिवादी श्री शिवचरण यादव के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हिदायत दी गई कि परिवादी अशोका टाकीज के पास मिलेगा जिसके पास पहूंचकर सम्पर्क कर परिवादी को आरोपी के पास भिजवाये जाने से पूर्व विभागीय वॉईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रखे एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर से अनाश्यक छेडछाड नही करें । रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन बाद मय परिवादी के उपस्थित कार्यालय आने की हिदायत देकर एसीबी कार्यालय अलवर से अशोका टाकीज अलवर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.20 पी.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन

हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. मय परिवादी श्री शिवचरण यादव के ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री शिवचरण यादव ने बताया कि आज आपसे वाट्सएप्स कॉल पर बात होने के मैं अशोका टाकीज के पास आ गया और कुछ देर बाद आपका कर्मचारी श्री सुण्डाराम मेरे पास आ गया। जहां श्री सुण्डाराम ने अपने पास से आपके विभाग का टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुझे दे दिया जिसे मैं अपने पास रखकर पीडब्लूडी कार्यालय के अन्दर जाकर श्री कृष्ण कुमार टीए साहब के कमरे में गया और टीए साहब से मेरे भतीजे गोपेश के पेट्रोल पम्प की एनओसी के बारे में बातचीत की तो टीए साहब अपनी टेबल पर रखी हुई फाईलो को देखकर बताया कि आपकी फाईल वापिस मेरे पास आ गई है। इस पर मैनें उनसे कहा कि साहब इसको निकाल दो तो उन्होने कहा कि आपको बताया था वो तो करो, इस पर मैनें पुछा साहब कितने करने है तो टीए साहब ने मुझसे कहा कि आपको पहले बता दिया था और फाईल को चैक कर कहा कि आपकी फाईल निकाल देंगें और मुझसे 10,000/-रूपये उसी समय ले लिये तथा 25,000/-रूपये और रिश्वत राशि सोमवार तक लाने के लिए कहा है। उक्त वार्ता को मैनें आपके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया और वहां से रवाना होकर आपके कर्मचारी के पास आकर टेप रिकॉर्डर को चालू हालत में सुपुर्द किया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। इसके बाद हम दोनों वहा से रवाना होकर आपके कार्यालय आ गये उक्त बातों की परिवादी के साथ गये श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने भी ताईद की। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड को प्राप्त कर रिकॉर्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी टीए द्वारा परिवादी के भतीजे के पेट्रोल पम्प की एनओसी जारी करने की एवजं में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 10,000/-रूपये की रिश्वत प्राप्त करना व 25,000/-रूपये रिश्वत राशि और मांग करना पाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के बंद कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा परिवादी को दिनांक 04.05.2026 को समय 09.00 एएम पर आरोपी को दी जाने वाली 25000/-रूपये की राशि के साथ उपस्थित आने की व गोपनीयता रखने की मुनासिब हिदायत दी जाकर समय 06.10 पीएम पर रूखस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 04.05.2026 को वक्त करीब 9.00 ए.एम पर परिवादी श्री शिवचरण यादव उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन पर ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, टीए को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि साहब 25000/-रूपये साथ लेकर आया हूं जो मेरे पास रखे है। वक्त करीब 9.30 पी. एम पर पाबन्दशुदा गवाहान हाजिर कार्यालय आये। जिनसे मन उप अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान को अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना पूरण चन्द देवनानी पुत्र श्री फतेहचन्द देवनानी उम्र 52 साल जाति सिधीं, निवासी मकान नम्बर 350 विजय नगर अलवर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री राहुल खांन पुत्र श्री आसमोहम्मद उम्र 34 साल जाति मेव निवासी ग्राम विरटोली पोस्ट सौरखा कला तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर होना बताया। तत्पश्चात परिवादी श्री शिवचरण यादव का दोनों गवाहान से परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 28.04.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, टीए द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.40 ए.एम पर उपरोक्त मौतबिरान एवं परिवादी श्री शिवचरण यादव के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, टीए (तकनीकी सहायक), कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर के मध्य दिनांक 01.05.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रूबरू वार्ता के रिकॉर्डर में रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 16 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था को कार्यालय की आलमारी में से बाहर निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री शिवचरण यादव एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री शिवचरण यादव ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, टीए की होने की पहचान की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी SanDisk Cruzer Blade 16 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री शिवचरण यादव के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया

गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी SanDisk Cruzer Blade 16 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.05.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.50 ए.एम दोनो गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक ने परिवादी शिवचरण यादव पुत्र श्री प्यारेलाल जाति अहीर निवासी रूपबास जगन्नाथ मन्दिर के सामने राजगढ रोड अलवर को आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता टीए, तकनिकी सहायक, सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलनमुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशी 25,000/- रूपये निकालकर पेश किये।परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 25000/-रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवा कर, उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी निकलवाई जाकर श्री नरेश कुमार शर्मा,से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालकर सभी नोटो पर भली भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री शिवचरण यादव की जामा तलाशी गवाह श्री राहुल खांन से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा, से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोटो कुल 25000/- रूपये परिवादी के पहने हुये कुर्ते की बांयी साईड की जेब में रखवाये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिसकॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेन देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेपपार्टी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई।इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा, से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री नरेश कुमार शर्मा,की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री शिवचरण यादव व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार का जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार शर्मा,के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये।इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आनेवाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर तथा ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई, तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 16 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. का हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द करे। श्री नरेश कुमार शर्मा को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 12.15 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, रामजीत सिंह कानि. 206, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री राहुल खान व श्री पूरण चन्द देवनानी, भीम सिंह कानि. 192, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक, श्री भगवान सिंह कानि. 125 के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेशचन्द व एक प्राईवेट वाहन तथा एक सरकारी व दो प्राईवेट मोटरसाईकिल से तथा परिवादी श्री शिवचरण यादव व श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से वास्ते करने ट्रैप

कार्यवाही बजानिब सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर के लिये रवाना हुआ। श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.45 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, टीए के पास कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर के लिए रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय व परिसर के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। इस समय परिवादी श्री शिवचरण यादव निर्धारित ईशारा किये बिना ही मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास आया और टेप रिकॉर्डर को चालू हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने बताया मैं, आपके कार्यालय के टेप रिकॉर्डर को अपने पास रखकर श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, टीए के पास उनके कार्यालय कक्ष में गया, जो कार्यालय कक्ष में ही उपस्थित मिले जिनसे मैनें मेरे भतीजे के पेट्रोल पम्प की एनओसी के संबंध में बातचीत की तो बताया आपका काम हो गया है आप तय शुदा पैसे मेरी पत्नी को घर पर दे देना उन्होनें ऑफिस में रिश्वत के पैसे नहीं लिये है। इसलिए मैं बिना ईशारा किये ही आपके पास आ गया। जिस पर परिवादी ने बताया कि टीए साहब का घर स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर में मकान नम्बर 133 है और वह लंच के समय खाना खाने घर पर आते है। इस पर मौके पर ही डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर मुख्य अंष को सुना गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर के पास से रवाना होकर आरोपी के मकान के पास वाली रोड स्कीम नं0 08 गांधी नगर अलवर पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर आरोपी टीए का ऑफिस से घर आने का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 2.35 पी.एम पर परिवादी श्री शिवचरण यादव ने मन उप अधीक्षक को बताया कि टीए साहब की गाडी घर के बाहर खडी है। टीए साहब लंच करने घर आये है। जिस पर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री कृष्ण कुमार अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, टीए के पास उनके आवास मकान नं0 133 स्कीम नगर 8 गांधी नगर के लिए रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आरोपी के मकान के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 2.43 पी.एम पर मन उप अधीक्षक के मोबाईल पर परिवादी ने अपने मोबाईल से मिस कॉल कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया परिवादी का ईशार प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक, परिवादी से प्राप्त ईशारे के बारे में दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो को अवगत करवाया जाकर उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर उक्त आरोपी के मकान नं 133 स्कीम नम्बर 08, गांधी नगर अलवर के मैन गेट के सामने पहूंच उक्त मकान की डोर वैल बजाई तो अन्दर से कोई जवाब नही मिलने से मन उप अधीक्षक मय दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो मय सुनीता कुमारी हैड कानि 148 के साथ उक्त मकान का दरवाजा खोलकर ड्राइग रूम मे प्रवेश किया जहां पर परिवादी एक सौफे पर बैठा हुआ था तथा उक्त ड्राईग हॉल मे लगे श्री सीटर सॉफे पर एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। जहां परिवादी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मन उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यो के सामने ही श्री सीटर सौफे पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशार कर बताया की ये ही श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता टीए साहब है जिन्होने अभी अभी मेरे भतीजे श्री गोपेश के नाम एचपीसीएल कम्पनी की एलओआई के क्रम में पीडब्ल्यू डी से एनओसी जारी करने के लिये 25000/-रूपये की रिश्वत मांग कर लिये है और मेरे से रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर और उक्त सौफे की कूशन मध्य दरार में अपने हाथ से अन्दर घुसा दिये जो अभी आधे बाहर ही दिख रहे है। उक्त श्री सीटर सौफा जिस की मध्य वाली सीट पर आरोपी बैठा हुआ है तथा दाहिनी तरफ वाली दरार में 500-500 के कुछ नोट अन्दर घुसाये हुये दिख रहे को जिनहे मन उप अधीक्षक व दो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी से सदस्यो ने देखा। इस पर मन उप अधीक्षक ने उक्त सौफै पर बैठे हुये व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसे आने का मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो उक्त ने अपना नाम कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय गुप्त उर्फ गुप्ता जाति महाजन उम्र 59 साल निवासी मकान नं 133 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर हाल अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष आरोपी श्री कृष्ण अवतार अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि किस काम के लिये ली और अभी कहां है के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण अवतार अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर ने बताया की मैन इनसे कोई रिश्वत नही मांगी है इनके पट्रोल पम्प की एनओसी का काम था ये खुद ही आज आये और इन्होने मेरे को 500-500 रूपये की कुछ नोट दिये जिन्हे मैने अपने दाहिने हाथ में लेकर सोफे की दरार में अन्दर घुसा के रख दिये जो आपको दिख ही रहे है। मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की है। इस पर पास बैठे परिवादी स्वयं ने ही

बताया की साहब ये झूठ बोल रहा है। मेरे बडे भाई श्रीराम यादव के पुत्र गोपेश यादव के नाम से एचपीसीएल कम्पनी का पट्रोल पम्प लक्ष्मणगढ रोड, स्टेट हाईवे 44 पर ग्राम बरखेडा में स्थापित करने के लिये एलओआई जारी की गई है। उक्त एलओआई/पट्रोल पम्प स्थापित करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर से एनओसी जारी करने की एवजं में इनके द्वारा 40000/-रूपये की रिश्वत मांग करने पर मैने दिनांक 28.04.2026 को आपको इस संबंध शिकायत दी थी। जिस पर आप द्वारा दिनांक 01.05.2026 को सत्यापन करवाया जाने पर टीए साहब ने मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन के समय 10000/-रूपये रिश्वत ले लिये और मुझे 25000/- रूपये की मांग की गई। इसके बाद आज आप के निर्देशानुसार मै इनके कार्यालय जाकर इनसे मिला मेरे काम के बारे में बातचीत की तो इन्होने कहा की तुम घर क्यो नही आये तो मैने इनसे कहा की साहब आपने वो पटवारी से कागजात मगाये थे तो मै वो लेने के लिये चला गया और इसके मैने इनसे मेरी फाईल के बारे में पूछा तो इन्होने मुझसे कहा की तेरी फाईल कर देगे। इसके बाद मैने इनको मेरी जेब में रखी रिश्वत राशि देने लगा तो इनहोने मुझसे कहा की तुम मेरे घर चले जाओ और मेरी पत्नी को दे देना मै उनको फोन कर देता हूं। आप मेरे घर की घण्टी बजा देना वो आपको बाहर ही मिल जायेगी और मै भी लंच मे घर आउगा। इसके बाद मैने कहा की मैने भी खाना नही खाया है मै भी खाना खाकर आपके घर पहूंचता हूं। इसके बाद मै इनके ऑफिस से बाहर निकलकर आप लोगो के पास आकर सारी बात बता दी और आपके साथ इनके बताये अनुसार इनके मकान स्कीम नं 08 पर आ गये और अभी कुछ देर पहले इनकी गाडी इनके घर के आगे आकर रूकी तो मै अभी कुछ देर पहले ही आपके निर्देशानुसार इनके पास इनके घर पर आया और घर की वैल बजाई तो इनकी मैडम बाहर आई तो मैने कहा की साहब से मिलना है इतने मे टीए साहब बाहर आ गये और मुझे अन्दर इस कमरे में लेकर आ गये और मुझसे कहा यादव जी बैठो इसके बाद मैने इनसे कहा साहब मै सुबह से परेशान हो रहा हूं आप ये पैसे लो इस पर टीए साहब ने पैसे अपने दाहिने हाथ से लेकर गिने तब मैने पूछा साहब पुरे है तो इन्होने कहा की पुरे है। इसके बाद इनहोने उक्त रिश्वत राशि को उक्त सौफा की कुशन की दरार में घुसाकर रख दिये और मैने आपको मिस कॉल कर दिया और आप आ गये। इसके बाद पुनः आरोपी से पूछा गया तो आरोपी चुप हो गया और कुछ नही बोला इस पर उक्त थ्री सीटर सौफा जिस पर आरोपी बैठा हुआ है कि दाहिनी तरफ वाली कुशन की दारार में घुसाई हुई 500-500 के कुछ नोट आधे बाहर दिख रहे है को गवाह श्री राहुल खांन से उठवाई जाकर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी मे अंकित नम्बरो से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 50 नोट कुल 25000/-रूपये नम्बरी नोट होना पाये गये। जिने गवाह श्री राहुल खांन के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात आरोपी के परिजनो से ही पानी की बोतल मगवायी जाकर स्टाफ से ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता के दांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री कृष्ण कुमार गुप्त उर्फ गुप्ता के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उक्त गिलास में उसी पानी की बोतल से पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक रूई का फौवा लिया जाकर उक्त गिलास के घोल में डुबोकर उक्त थ्री सीटर सौफा कुशन की दरार जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है उक्त स्थान के रूई के फौवे से रगडकर उक्त फौवे को उक्त गिलास के घोल में डुबाया गया तो गिलास के धौवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क S-1, S-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। मौके पर आरोपी के परिजनो द्वारा विरोध करने तथा मौके पर लोगो की भीडभाड होने पर कार्यवाही बाधित होने के कारण उक्त रूई के फौवे को जिससे धौवन लिया गया को एक प्लास्टिक की पोलोथीन मे रखकर उक्त पोलोथीन को ट्रेप बाक्स में रख दिया तथा मौके से अबतक की कार्यवाही में जप्तशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स मय साजो सामान तथा मय निरूद्धशुदा आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता मय दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के उक्त मकान से साथ लाये गये वाहनो से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना अरावली विहार के लिये रवाना हुआ। उपरोक्त रवानाशुदा पुलिस थाना अरावली विहार अलवर पहूंच वाहनो को थाना परिसर में खडा करवाया जार निरूद्धशुदा आरोपी एवं दोनो गवाहना व ट्रेप

पार्टी के सदस्यो को वाहनो से उतराकर पुलिस थाना अरावली विहार पहूंच डीओ ड्यूटी को कार्यवाही से अवगत करवाकर थानाधिकारी के कक्ष में पहूंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद ट्रेप बॉक्स में रखे उक्त रूई के फौवे को बाहर निकालकर उसे सुखाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर उक्त थैली पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क S अंकित कर सील मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री राहुल खान के पास बरामदशुदा रिश्वत राशि रखवाई गई को पेश करने की कहने पर श्री राहुल खान ने अपने पास से निकालकर पेश की। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/- रूपये की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 16 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री भीम सिंह कानि से करवाई गई। इसके बाद आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता से परिवादी श्री शिवचरण यादव से संबंधित पत्रावली के बारे मे पूछा तो परिवादी से संबंधित पत्रावली स्वयं के कार्यालय में स्वयं की टेबिल पर रखी होना बताया। उक्त पत्रावली मूल/प्रमाणित पृथक से प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात वक्त करीब 5.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री शिवचरण यादव से आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर द्वारा 25,000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री भीम सिंह कानि. 02 द्वारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 16 GB डालकर श्री भीम सिंह कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः V-1, V-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1, को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-2, को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय गुप्ता जाति महाजन उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 133 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर हाल अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतारी के आधार के क्रम मे नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.50 पी.एम पर परिवादी श्री शिवचरण यादव एवं आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता, अधिशाषी अभियंता (टीए), कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर के मध्य आज दिनांक 04.05.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई रूबरू वार्ताओ के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे सनडिस्क 16 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 व 02 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री शिवचरण यादव एवं आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 16 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 व 02 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत कानि0 206 से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक

पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 04.05.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-2 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 7.20 पी.एम मौ0 मुस्ताक खान, सहायक अभियंता ने परिवादी शिवचरण यादव के भतीजे गोपेश के पेट्रोल से संबंधित मूल पत्रावली एवं प्रमाणित प्रति मन उप अधीक्षक को पेश की, जिसकी प्रमाणित प्रति को जरिये फर्द जब्ती रिकॉर्ड लिया गया व मूल पत्रावली मौ0 मुस्ताक खान, सहायक अभियंता को वापिस लौटाई गई। तत्पश्चात वक्त करीब 7.50 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय गुप्ता जाति महाजन उम्र 59 साल निवासी मकान नं0 133 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर हाल अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 72 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समस्त ट्रेप कार्यवाही के पश्चात परिवादी श्री शिवचरण यादव को बाद कार्यवाही पुलिस थाना अरावली विहार से उसके निवास के लिए रूखस्त किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.50 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री भीम सिंह कानि. 192 व श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक, दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से पुलिस थाना अरावली विहार अलवर से आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्त करीब 10.00 पी.एम उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता अधिशाषी अभियंता (टीए) के पुलिस थाना अरावली विहार से रवाना होकर राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर पहूंचे जहां जरिये तहरीर आरोपी का स्वास्थय परीक्षण करवाया गया तो आरोपी का बीपी हाई होने पर डयूटी डॉक्टर ने आरोपी को चिकित्यालय में भर्ती करवाया गया व आरोपी के परिजनों को आरोपी के स्वास्थ्य खराब होने व अस्पताल में भर्ती करवाये जाने की जानकारी दी गई तथा आरोपी की निगरानी एवं सुरक्षा हेतु श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री भगवान सिंह कानि. 125 को सुरक्षार्थ आरोपी के पास आवश्यक हिदायत देकर छोडा जाकर राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंच जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय में रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 10.10 पी.एम पर गवाह पूरण चन्द देवनानी, कनिष्ठ सहायक व श्री राहुल खांन वरिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य कर विभाग अलवर को बाद कार्यवाही एसीबी चौकी अलवर से जाय तैनाती/निवास के लिए रूखस्त किया गया। वक्त करीब 10.15 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मार्फत चौकी हाजा के मालखाना में दुरूस्त हालत मे जमा करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से दिनांक 28.04.2026 को परिवादी श्री शिवचरण यादव की लिखित रिपोर्ट दिनांक 04.05.2026 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय गुप्ता जाति महाजन उम्र 59 साल निवासी मकान नं 133 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर हाल अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर द्वारा अपने वैध पारिश्रम के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी शिवचरण यादव के द्वारा उसके भाई श्रीराम यादव के पुत्र गोपेश यादव के नाम से एचपीसीएल कम्पनी का पट्रोल पम्प लक्ष्मणगढ रोड, स्टेट हाईवे 44 पर ग्राम बरखेडा में स्थापित करने के लिये एलओआई जारी की गई है। उक्त एलओआई/पट्रोल पम्प स्थापित करने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर से एनओसी के लिये आवेदन किया गया है। उक्त आवेदन पर एनओसी जारी करने की एवज में परिवादी श्री शिवचरण यादव से दौराने सत्यापन दिनांक 01.05.2026 को आरोपी द्वारा परिवादी से उनकी एनओसी जारी करने के लिये मांगकर 10000/-रूपये रिश्वत लेना और 25000/- रूपये की मांग कर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे दिनांक 04.05.2026 को 25000/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर व ग्रहण की गई व उक्त ग्रहण

की गई रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होने आरोपी को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।अतः आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय गुप्ता जाति महाजन उम्र 59 साल निवासी मकान नं 133 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर हाल अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है । अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कृष्ण अवतार गुप्त उर्फ गुप्ता पुत्र श्री कल्याण सहाय गुप्ता जाति महाजन उम्र 59 साल निवासी मकान नं 133 स्कीम नम्बर 8 गांधी नगर अलवर हाल अधिशाषी अभियंता (टीए) कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 706 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 706-09 दिनांक 06.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अलवर-प्रथम। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/05/2026 10:32:01

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)